अपील - [illegible] क्र. 174/15

दिनांक	आज्ञा पत्र	
12.6.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप. संबंधित [illegible] पेश किया [illegible] गई। शामिल हुई/रेफर्ड 26.3.24 को [illegible] AD [illegible] पेश करने पेश होने पर [illegible] 2.7.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
2.7.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप. [illegible] 18 [illegible] शामिल रहे को वकालतनामा पेश किया शामिल [illegible] दिनांक 1.8.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन [illegible] सीकर
1-8-24	पत्रावली [illegible] वकील उप. पेश [illegible] की शामिल [illegible] AD [illegible] 30 दिवस के [illegible] वक्त [illegible] शामिल मानी जाती है [illegible] पत्रावली [illegible] आदेश दिनांक 14.8.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
14.8.24	पत्रावली पेश। अपील अपीलांट..... खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 174/2015

गोपाल पुत्र भोलू जाति बलाई निवासी ढोलास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.। मृत
1/1 सुरजी देवी उम्र 82 साल पत्नी स्व. गोपाल
1/2 सोहनलाल उम्र 54 साल पुत्र स्व. गोपाल
1/3 शिवलाल उम्र 46 साल पुत्र स्व. गोपाल
1/4 पूर्णमल उम्र 43 साल पुत्र स्व. गोपाल
1/5 भगवानी देवी उम्र 60 साल पुत्र स्व. गोपाल
1/6 चूकी देवी उम्र 58 साल पुत्री स्व. गोपाल
1/7 बनारसी देवी मृत
1/7/1 सुरेन्द्र कुमार उम्र 28 साल पुत्र बनारसी देवी
1/7/2 विजेन्द्र कुमार उम्र 22 साल पुत्र बनारसी देवी
1/7/3 भंवरी उम्र 40 साल पुत्री बनारसी देवी
1/7/4 मनोज उम्र 35 साल पुत्री बनारसी देवी
1/7/5 सुनिता उम्र 30 साल पुत्री बनारसी देवी
1/7/6 मुन्नी उम्र 32 साल पुत्री बनारसी देवी
1/7/7 रूकमणी उम्र 26 साल पुत्री बनारसी देवी
1/7/8 अंकिता उम्र 28 साल पुत्री बनारसी देवी
समस्त जाति बलाई निवासी ढोलास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

1 नारायण उम्र 74 साल पुत्र मंगला जाति बलाई निवासी ग्राम डूडवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर। मृत
1/1 मन्नी देवी उम्र 58 साल पुत्री स्व. नारायण पत्नी सीताराम जाति बलाई निवासी झीगर बड़ी तहसील धोद वर्तमान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।
1/2 सुन्दरी देवी उम्र 56 साल पुत्री स्व. नारायण पत्नी मूंगाराम जाति बलाई निवासी ग्राम जलालसर तहसील फतहेपुर जिला सीकर।
2 रिछपाल उम्र 44 साल पुत्र मूलाराम
3 बीरबल मृत
3/1 मांगीलाल उम्र 35 साल पुत्र बीरबल
3/2 सिकन्दर उम्र 28 साल पुत्र बीरबल
3/3 सुशीला उम्र 38 साल पुत्री बीरबल
3/4 सुनिता उम्र 32 साल पुत्री बीरबल
4 बाबूलाल उम्र 34 साल पुत्र मूलाराम
5 नेमीचन्द उम्र 32 साल पुत्र मूलाराम
6 राजेन्द्र उम्र 29 पुत्र मूलाराम
7 लाडा देवी उम्र 74 साल पत्नी मूलाराम
8 सुरेश पुत्र ओमप्रकाश पुत्र मूलाराम
9 महेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश पुत्र मूलाराम
10 विनोद पुत्र ओमप्रकाश पुत्र मूलाराम
11 मंजू पुत्री ओमप्रकाश पुत्र मूलाराम
12 गोमो देवी पत्नी ओमप्रकाश
13 मोहन उम्र 64 साल पुत्र रामू
14 ताराचन्द उम्र 44 साल पुत्र भागला
समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम ढोलास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
15 पटवारी हल्का नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
16 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

17 उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
18 सुभाष किरोडीवाल पुत्र घासीराम जाति बलाई निवासी ग्राम गुगाश तहसील व जिला सीकर राज.।
19 बालूराम उम्र 49 साल पुत्र स्व. गोपाल जाति बलाई निवासी ग्राम ढोलास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2015
मुकदमा नम्बर 182/2010 बउनवानी नारायण बनाम
रिछपाल आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़
जिला सीकर।

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरीश शर्मा प्रथम , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 14.8.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 182/2010 में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने एक वाद उद्घोषणा एव स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 171 वाके ग्राम ढोलास का प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि नकल जमाबंदी सम्वत 2012 में खसरा नम्बर 171 पर मंगला वल्द चमार सा. देह 6 बीघा 14 बिश्वा का नाम अंकित है, जामाबंदी सम्वत 2013–16 में भी खसरा नम्बर 171 पर नाराना वल्द मंगला चमार सा. डूडवा का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। गिरदावरी सम्वत 2014–17 में भी नारायणा वल्द मंगला की काश्त दर्ज है। इस प्रकार से दस्तावेजी राजस्व रिकार्ड से वादग्रस्त आराजी पर काश्तकारी अधिनियम लागू होने 1955 से कब्जा काश्त होना प्रकट होता है को मान्य कर अपना निर्णय व डिक्री पारित किया है, जबकि जमाबंदी सम्वत 2012 में खातेदार काश्तकार रामला व भोला पिता कुआ कौम चमान सा. देह हिस्सा बराबर का इन्द्राज है तथा जमाबंदी सम्वत 2013–2016 में मूला, भागला, मोहना पिता रामू हिस्सा 1/2 बहिस्सा बराबर गोपाल पुत्र भोलू हिस्सा 1/2 चमार सा.देह का इन्द्राज है तथा यही अंकन जमाबंदी सम्वत 2017 से 2030 में है। विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की खसरा गिरदावरी सम्वत 2014 से 2017 में वादी की काश्त दर्ज होने को आधार मानकर गंभीर भूल की है, क्योंकि खसरा गिरदावरी रेकार्ड ऑफ राईट की परिभाषा में नही है, न ही वादी के द्वारा वाद पत्र में अंकित अभिकथनों से खसरा गिरदावरी प्रमाणित है न ही कब्जे काश्त के बाबत तैयार खसरा गिरदावरी सम्वत 2027 से 2033 में वादी या इनके पूर्वजों के पिता या माता के नाम का अंकन है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद के नोटिस कभी भी कोई तामील कुनिन्दा अपीलांट के घर लेकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नहीं गया, न ही अपीलांट को इसकी जानकारी रही, बल्कि अपीलांट के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 व 13 से 14 ने इन्हीं भूमियों के बावत एक वाद बउनवानी लाडा देवी बनाम केसरी आदि वाद संख्या 41/2007 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा था, जो दिनांक 06.09.2013 को अदम हाजरी में खारिज हो गया तथा इस वाद के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 व 13, 14 अपीलांट से रंजिश रखते थे जिन्होंने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से साजिस कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत अपीलाधीन वाद की तामील फर्जी करवाते हुए तामील कुनिन्दा से अंकित करवाया कि अपीलांट/गोपाल घर पर नहीं मिला, उसकी पत्नी मिली, नोटिस लेने से इंकार हुई, नोटिस मकान पर चस्पा किया गया। जिस पर न तो स्वतंत्र गवाहो की कोई शहादत है न ही अपीलांट की पत्नी का नाम अंकित है, न ही अपीलांट का मकार किस तरफ झांकता हुआ है का कोई अंकन है, न ही चस्पादगी से तामिल करवाने का न्यायालय का आदेश है इससे स्पष्ट है कि अपीलांट के विरूद्ध रेस्पोडेन्टस द्वारा सजिसपूर्वक फोरजरी कार्यवाही करते हुए अपीलांट के नोटिस पर तामील की गलत रिपोर्ट करवायी गयी। जिससे अपीलांट को अपने अधिकारों की रक्षा हेतु डिफेंस का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी संख्या 10 था। विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद का प्रतिवाद नहीं किया गया है। विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। प्रस्तुत अपील प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से प्रस्तुत की गई है। शेष प्रतिवादीगण ने विचाराधीन निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिकी किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2012 में खसरा नम्बर 171 पर मंगला वल्द.....चमार सा. देह 6 बीघा 14 बिश्वा का नाम अंकित है जमाबंदी संवत 2013–16 में भी खसरा नम्बर 171 पर नाराना वल्द मंगला चमार सा. डूडवा का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। गिरदावरी संवत 2014–17 में भी नारायणा वल्द मंगला की काश्त दर्ज है। इस प्रकार से दस्तावेज राजस्व रिकार्ड से वादग्रस्त आराजी पर काश्तकारी अधिनियम लागू होने 1955 से कब्जा काश्त होना प्रकट होता है। प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार का जवाब ऐतराज आदि पेश नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिकी करने में कोई विधिक त्रुटी नहीं की है! विचारण न्यायालय का निर्णय का विधि सम्मत है अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना, प्रतिवादीगण की समयक तामील करवाये बिना वादीगण की साक्ष्य बन्द किये बिना अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिकी को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को जवाबदेही साक्ष्य सुनवायी का अवसर प्रदान कर बाद सुनवायी विधिक प्रकियानुसार प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30–08–2024 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 14.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर